बिहार सरकार

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के वृद्ध, दिव्यांग तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राज्य पेंशन योजनाएँ :–

क्र0	योजना का नाम	पात्रता
1	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/– से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत आच्छादित न हों, को रू0 400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
2	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना	इस योजना के अन्तर्गत किसी भी आय एवं आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, को रू0 400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
3	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनको केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा हो, में से 60–79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजन को रू0 400/– प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

आवेदन की प्रक्रिया:– पेंशन योजना की पात्रता रखने वाले व्यक्ति का आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर प्राप्त किया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु https://www.sspmis.bihar.gov.in// पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

आवेदन के साथ दस्तावेज:– दो पासपोर्ट साईज फोटो आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान–पत्र की छायाप्रति। बैंक खाता की छायाप्रति जिसमें बैंक खाता संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। दिव्यांगता पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

स्वीकृति की प्रक्रिया:– लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा दी जाती है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की स्वीकृति राज्य स्तर से की जाती है।

पेंशन भुगतान की प्रक्रिया:– पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभुकों को राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाता में किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या अनुमण्डल स्थित बुनियाद केन्द्र या संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय या

Toll Free Number : 1800-345-62-62 से सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

PR No.- 016504 (SWD)D. 2023-24